संख्या- 5 /2020/ए-1- 246 /दस-2020-10(28)/2011

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ - दिनांक - 05 मार्च, 2020**

विषय - प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेण्ट लागू होने के फलस्वरूप आवश्यक निर्देश।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01-04-2013 से कोषागारों द्वारा समस्त भुगतान ई-पेमेण्ट के माध्यम से किए जा रहे हैं एवं अब कोषागारों द्वारा किसी भी भुगतान हेतु चेक जारी नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आनलाइन बिल प्रस्तुतीकरण एवं ई-कुबेर प्रणाली भी वर्तमान में लागू है ।

2- अत: कोषागारों से समस्त देयकों का समयान्तर्गत भुगतान सुनिश्चित हो सके, के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :-

(i) सभी प्रशासकीय विभाग एवं बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा निर्गत की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों को दिनांक 15 मार्च, 2020 तक आवश्यक रूप से निर्गत कर दिया जाये तथा उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि वित्तीय स्वीकृतियाँ एवं उसके सापेक्ष आवंटन कार्य स्थल (आहरण एवं वितरण अधिकारी) तक विलम्बतम् दिनांक 20 मार्च, 2020 तक अवश्य पहुँच जाये।

(ii) सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में समस्त बिल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विलम्बतम् दिनांक 25 मार्च, 2020 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जायें, जिससे कि प्रस्तुत बिलों की आवश्यक चेकिंग के बाद कोषागारों द्वारा बिलों की पासिंग तथा ई-पेमेण्ट के माध्यम से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक भुगतान निर्धारित समय अवधि में किया जा सके।

(iii) उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन आगामी वित्तीय वर्षों में भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्षों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

का कष्ट करें। उक्त का अनुपालन न करने तथा सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत् हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 5 /2020/ए-1- 246 (1)/2020-10(28)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद) ।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से कि समस्त कोषागारों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से निर्देर्शित करने का कष्ट करें।
5- उप महाप्रबन्धक, एकीकृत बैंकिग विभाग,भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गॉधी मार्ग, कानपुर 208001
6- सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ-226001.
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।